

प्रबंध निदेशक  
5/9/18

प्रतिनिधि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बैतिया/सभी अणुधरकर्/अणु शाखा/अणु शाखा (कम्पार्ट सेल)  
लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचना एवं अनुपालना हेतु प्रेषित।

दिनांक: 5/9/18

शीर्षक: 1479

प्रबंध निदेशक  
द/0-

उक्त स्वीकृत अणु शाखा को अणुधरकर् द्वारा ब्याज सहित 20 सामान वित्तियक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

स्वीकृत अणु शाखा में वर्णित ट्रेड में लाभांशों द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सम्पत्तियों का अन्त 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा अणु शाखा से सूचित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा अणु को गयी सम्पत्तियों की शीर्षक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

SI. No.	Appl Name / F/H Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less Processing Charge 0.5%	Net Payable Amount
1.	NESAR AHMAD SAH, S/O- LATE AAS MOHAMMAD SAH, VIII-DARAU, Block-GAUNAHA, PS-MATIARIA, PO-GOTHAH, Distt.-WEST CHAMPARN-845455	A/c No.:- 50100025148909	KIRANA SHOP	100000	500	99500
			TOTAL	100000	500	99500

करने का आदेश दिया जाता है :-

राज्य सम्पत्ति मूल्यांकन अल्पसंख्यक योजना अणु योजना अर्थात् 06.05.2015 एवं 07.05.2015 को बैतिया जिला के चयनित 01 आवेदकों एवं उनके गारुटियों से निगम के कार्यालय आदेश संख्या 516 दिनांक 27.03.2017 के आदेशों में नया आवेदन पत्र, अद्यतन आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति, आधार कार्ड एवं आधार अस्थापित बैंक एकाउन्ट के फोटोकॉपी तथा गारुटरी के आधार कार्ड की प्रति प्रमण्डलीय प्रभारी, तिरहुत द्वारा प्राप्त कर रूटिनिंग दस्तावेज/कानूनीकरण अणु की स्वीकृति हेतु अनुसंधान के साथ उपस्थापित किया गया है। इन समर्पित रूटिनिंग कागजात के आधार पर कुल 01 लाभक को उनके नाम के सामने अर्जित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्याई गए अणु शाखा की स्वीकृति दी जाती है। अणु गृहीता द्वारा किस्तों के समय पर भुगतान न करने की स्थिति में एकरारनामा के कडिका (4) के प्रबंधन के अनुसार देय किस्त पर चक्रवृद्ध ब्याज की गणना कर उनसे शाखा वसूली की जायेगी। अतएव विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से अणु शाखा भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आदेशों में स्वीकृत अणु शाखा में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे दिये भुगतान के स्तम्भ में दर्शाये गये शाखा सीधे सम्बन्धित लाभक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है :-

**स्वीकृत आदेश**

संख्या: --- बी.एस.एम.एफ.सी. / पटना, दिनांक: ---

(Email=minocorpatna@gmail.com, website:www.bsmfc.org)

34, हाईडिग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

बिहार स्टेट माईनरिटीज फाईनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना

5/9/18